रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 1976/फाल्गुन 6, 1897
No. 66] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 1976/PHALGUNA 6, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.**

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

**(Posts and Telegraphs Board)**

NOTIFICATION

*New Delhi, the 25th February* 1976

**G.S.R. 93(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 7, 8, 21, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 43 and 74 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (Fourth Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the 1st day of March, 1976.

2. In the Indian Post Office Rules, 1933 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 59, for the words "one rupee and twenty five paise", the words "two rupees" shall be substituted.

3. In rule 64 of the said rules, for the figures and word "15 paise", the figures and word "25 paise" shall be substituted.

4. In rule 68 of the said rules, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

"TABLE

| | |
|---|---|
| Letter, air-letter, postcard and packet | Two rupees |
| Bulk bag of printed matter | Ten rupees." |

5. For rule 74 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"74. In addition to the postage and the fee for registration, the following further fees shall be charged for insurance:—

| | |
|---|---|
| (a) When the value insured does not exceed Rs. 100/-. | Rupee one. |
| (b) When the value insured exceeds Rs. 100/- but does not exceed Rs. 5000/-. | Rupee one for the first Rs. 100/- or fraction thereof and fifty paise for every additional Rs. 100/- or fraction thereof. |
| (c) When the value insured exceeds Rs. 5000/- but does not exceed Rs. 10,000. | For amounts upto Rs. 5,000/- the same as for item (b) above and rupees three for every Rs. 1000/- or fraction thereof in excess of Rs. 5000/-." |

6. In rule 96 of the said rules, in sub-rule (2), under the heading "Schedule of Fees", for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

| | | |
|---|---|---|
| "Amount specified for recovery from the addressee. | Not exceeding Rs. 10/- | 50 paise |
| | Exceeding Rs. 10/- but not exceeding Rs. 20/- | Rs. 1-00 |
| | Exceeding Rs. 20/- | Rs. 1-50" |

7. For rule 98 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"98. The amount to be recovered from the addressee shall be the sum specified by the sender for remittance to himself plus a commission as prescribed by rule 112 on the amount specified for remittance to the sender. When the amount due is recovered from the addressee, the sum for payment to the sender shall be remitted to him by means of a money order."

8. For rule 112 of the said rules and the provisos thereunder, the following rule and the proviso shall be substituted, namely:—

"112. A commission on the issue of inland money orders shall be charged at the following rates, namely:—

| | |
|---|---|
| (i) Where the amount of remittance does not exceed Rs. 20/-. | 25 paise for every sum of Rs. 10/- or fraction thereof. |
| (ii) Where the amount of remittance exceeds Rs. 20/-. | 50 paise for every sum of Rs. 20/- or fraction thereof. |

Provided that the amount of commission payable on a Family Allotment Money Order booked by an Army Record Office, shall be calculated at 1.75 per cent. of the total amount of the Family Allotment Money Orders booked and in making such calculation, a fraction of a paisa less than 5 paise shall be disregarded and a fraction of a paisa equal to or exceeding 5 paise shall be regarded as one paisa."

9. In rule 113 of the said rules, for the words, figures and brackets "rule 112(1)", the word and figures "rule 112" shall be substituted.

10. For rule 114 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"114. The remitter of a money order shall fill in ink on a money order form prescribed and supplied by the Director General such particulars as the Director General may require. Such particulars may be written in English or Hindi or any Indian language."

11. In rule 128 of the said rules, for the words and figures, "In addition to these charges, a supplementary fee of 50 paise shall be charged on each telegraphic money order issued.", the words, letters and figures "In addition to these charges, a supplementary fee at the rate of rupee one for each telegraphic money order issued upto Rs. 50 and at the rate of rupees two for each telegraphic money order issued exceeding Rs. 50 but not exceeding Rs. 200 and at the rate of rupees three for each telegraphic money order issued exceeding Rs. 200 shall be charged." shall be substituted.

12. In rules 123 and 139 of the said rules, for the words, brackets and figures "sub-rule (1) of rule 112", the words and figures "rule 112" shall be substituted.

13. For rule 130 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"130. The remitter of a telegraphic money order shall fill in ink on a money order form prescribed and supplied by the Director General, such particulars as the Director General may require."

14. In rule 194 of the said rules, under the heading "Registration Envelopes", for the word and figures "Rupees 1.50", the word and figures "Rupees 2.25" shall be substituted.

[No. 1-6/76-R]

DALJINDER SINGH,
Member (Posts) of the P&T Board and *Ex-officio*.
Addl. Secy.

## संचार मंत्रालय

## (डाक-तार बोर्ड)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1976

**सा० का० नि० 93(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 7, 8, 21, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 43 और 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय डाकघर नियम, 1933 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय डाकघर (चौथा संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये पहली मार्च, 1976 को लागू होंगे।

2. भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 (इसके बाद जिनको उक्त नियमावली कहा जाएगा) के नियम 59 में "एक रुपया पच्चीस पैसे" शब्दों के स्थान पर "दो रुपये" शब्द रखा जाएगा।

3. उक्त नियमावली के नियम 64 में "15 पैसे" शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर "25 पैसे" शब्द और आंकड़े रखे जाएं।

4. उक्त नियमावली के नियम 68 में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाए, यथा :—

"सारणी

| | |
|---|---|
| पत्र हवाई-पत्र पोस्टकार्ड और पैकेट . . . . | 2 रुपये |
| मुद्रित सामग्री वाला भारी थैला . . . . . | 10 रुपये" |

5. उक्त नियमावली के नियम 74 के लिए निम्नलिखित नियम रखा जाए, यथा :—

"74. रजिस्ट्री के लिए डाकभार और डाक शुल्क के साथ बीमें के लिए निम्नलिखित और भी शुल्क वसूल किया जाए :—

| | |
|---|---|
| (क) जबकि बीमाकृत मूल्य 100 रुपये से अधिक न हो। | 1 रुपया |
| (ख) जबकि बीमाकृत मूल्य 100/–रुपये से अधिक हो परन्तु 5000/–रु० से अधिक न हो । | पहले 100/–रु० या उसके अंश के लिए 1 रु० और प्रत्येक 100/–रु० या उसके अंश के लिए पचास पैसे। |

| | | |
|---|---|---|
| (ग) | जबकि बीमाकृत मूल्य 5000/–रु० से अधिक हो परन्तु 10,000/–रु० से अधिक न हो। | 5000/–रु० की राशि तक वही जैसा कि उपर्युक्त मद (ख) में दिया गया है और प्रत्येक 1000/–रु० या उसके अंश के लिए 3 रु० 5000/–रु० से ऊपर । |

6. उक्त नियमों के नियम 96 के उपनियम (2) शीर्षक "शुल्कों की अनुसूची" इन्दराजों के स्थान पर नीचे वाले इन्दराज रखे जाएं, यथा :—

| | | |
|---|---|---|
| "प्राप्तकर्ता से वसूल की जाने वाली निश्चित रकम | जबकि 10/–रु० से ऊपर न हो | 50 पैसे |
| | 10/–रु० से ऊपर किन्तु 20/–रु० से अधिक न हो | 1–00 रुपया |
| | 20/–रु० से ऊपर | 1–50 रुपया" |

7. उक्त नियमों के नियम 98 के स्थान पर निम्नवर्ती नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

"98. प्राप्तकर्ता से वसूल की जाने वाली रकम उस रकम के बराबर होगी जो प्रेषक ने स्वयं को भेजे जाने के लिए लिखी हो जमा प्रेषक को भेजे जाने वाली रकम तथा नियम 112 द्वारा निर्धारित उसके कमीशन की रकम। प्राप्तकर्ता से रकम प्राप्त होने पर उसे प्रेषक को अदायगी के लिए मनीआर्डर द्वारा भेजा जाए"

8. उक्त नियमों और उस के अन्तर्गत बने परन्तुकों के नियम 112 के स्थान पर निम्नवर्ती नियम और परन्तुक प्रतिस्थापित किये जाएं, यथा :—

"112. अन्तर्देशीय मनीआर्डरों के जारी करने के लिए निम्नवर्ती दरों से कमीशन की वसूली की जाए, यथा :—

| | | |
|---|---|---|
| (i) | जबकि प्रेषण की जाने वाली रकम 20/–रु० से ऊपर न हो | प्रत्येक 10/–रु० की रकम या उस के किसी अंश के लिए 25 पैसे। |
| (ii) | जबकि प्रेषण की जाने वाली रकम 20/– रु० से अधिक हो। | प्रत्येक 20/–रु० की रकम या उस के किसी अंश के लिए 50 पैसे। |

बशर्ते कि सैनिक अभिलेखा कार्यालय द्वारा बुक किए गए परिवार नियतन मनीआर्डर पर कमीशन की रकम बुक किये गए परिवार नियतन मनीआर्डर की कुल रकम पर 1.75 प्रतिशत की दर से लगाई जायेगी और इस प्रकार हिसाब किताब करने के लिए 5 पैसे से कम की रकम को गिनती में नहीं लिया जाएगा और पांच पैसे से ऊपर आंशिक रकम को एक पैसा माना जाएगा।

9. उक्त नियमों के नियम 113 में "नियम 112(1)" शब्दों, आंकड़ों और कोष्ठकों के स्थान पर "नियम 112" शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएं।

10. उक्त नियमों के नियम 114 के स्थान पर निम्नवर्ती नियम प्रतिस्थापित किया जाए :—

"114. प्रेषक महानिदेशक द्वारा सप्लाई किए गए निर्धारित मनीआर्डर फार्म पर स्याही से ऐसे विवरण उस में भरेगा जैसा कि महानिदेशक द्वारा अपेक्षित हो, ऐसे विवरण किसी भी भारतीय भाषा में लिखे जा सकते है।"

11. उक्त नियमों के नियम 128 में इन शब्दों और आंकडों "इस शुल्क के आलावा प्रत्यक जारी किए गए तार मनीआर्डर पर 50 पैसे का पूरक शुल्क वसूल किया जाएगा" के स्थान पर ये शब्द, अक्षर और आंकड़े" इस शुल्क के आलावा 50/—रु० के जारी किये गए तार मनीआर्डर पर एक रुपय की दर से पूरक शुल्क वसूल किया जाएगा और 50/— रु० से ऊपर किन्तु 200/—रु० तक के जारी किए गए प्रत्येक तार मनीआर्डर पर 2/—रु० की दर से पूरक शुल्क वसूल किया जाएगा और 200/— रु० के ऊपर वाले जारी किए गए प्रत्यक तार मनीआर्डर पर 3/—रु० की दर से पूरक शुल्क वसूल किया जाएगा" प्रतिस्थापित किया जाए।

12. उक्त नियमों के नियम 123 और 139 में इन शब्दों को प्रकोष्ठ और आंकड़ों "नियम 112 का उपनियम (1)" के स्थान पर शब्द और आंकड़े "नियम 112" प्रतिस्थापित किया जाए।

13. उक्त नियमों के नियम 130 के स्थान पर निम्नवर्ती नियम प्रतिस्थापित किया जाए, यथा :—

"130. तार मनीआर्डर पर प्रेषण महानिदेशक सप्लाई किए गए और निर्धारित फार्म पर स्याही से ऐसे विवरण भरे जैसा कि महानिदेशक द्वारा अपेक्षित हो।"

14. उक्त नियमों के नियम 194 में या इस शीर्षक "पंजीकरण लिफाफे" के अन्तर्गत इन शब्दों और आंकड़ों "रु० 1.50" के स्थान पर ये शब्द और आंकड़ "रु० 2.25" प्रतिस्थापित किए जाएं।

[सं० 1-6/76-आर]

दलजिन्दर सिंह,
सदस्य (डाक) डाक-तार बोर्ड
पदेन अतिरिक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976